सी. मासिलामणि मुदलियार और अन्य

बनाम

श्री स्वामीनाथ स्वामी स्वामीनाथ स्वामी थिरूकोइल की मूर्ति और अन्य

30, जनवरी, 1996

[के० रामास्वामी, एस० सगीर अहमद और जी०बी० पटनायक, जे०जे०]

हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956

अधिनियम के लागू होने से पूर्व पक्षकार जिसने वसीयत के द्वारा सीमित सम्पत्ति जिसे विधवा की सम्पत्ति के रूप में प्राप्त किया है- शास्त्रीय विधि के तहत भरण-पोषण के अधिकार के रूप में पूर्व समायोजित अधिकार के तहत वसीयत में दी गई सम्पत्ति- धारा 14(1) के तहत अधिकार पूर्ण स्वामिनी के रूप में उत्पन्न हो गया है।

तुलासम्मा बनाम वी०शेषा रेडडी, [1977] 3 एस०सी०और० 261; थोटा शेषरथम मा बनाम थोटा मणिक्यम्म,[1991] 3

एस०सी०और० 717= [1991] 4 एस०सी०सी० 312; मंगत मल बनाम पुन्नी देवी, [1995] 6 एस०सी०सी० 88; गुंफा बनाम जय बाई, [1994] 2 एस.सी.सी., 511; सेठ बद्री प्रसाद बनाम श्रीमती कांसे देवी, [1969]2 एस०सी०सी० 586; मंगल सिंह और अन्य बनाम श्रीमती रत्नो और अन्य, [1967]3 एससीऔर 454; एस०और० बोम्मई बनाम भारत संघ, [1995]1 एस०सी०सी० और श्रीमती वलसम्मा पाॅल बनाम कोची विश्वविद्यालय और आेऔरएस, जे०टी० (1996)1 एस०सी० 57 पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षैत्राधिकारः- सिविल अपील संख्या - 4125 सन 1996

अपीलांट की और से के०और० चौधरी ।

प्रत्यर्थी की और से ए०वी० रंगम ।

न्यायालय द्वारा निम्न निर्णय दिया गया -

निर्णयः अपील स्वीकार पक्षकारों के अधिवक्ता को सुना है।

विशेष रूप से अपील 1988 के एलपीए संख्या 161 में दिए गए मद्रास उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के 2 जुलाई, 1992 के फैसले से उत्पन्न हुआ है।

अपीलकर्ता सोमसुंदरम पिल्लई की विधवा सेलाथाची के उत्तराधिकारी है। जिसे सोमसुंदरम द्वारा एक वसीयत प्रदर्श-ए 43 जिसे दिनांक 16-07-

1950 को लिखी गई थी जिसके अनुसार सम्पत्ति उसकी पत्नी और उसके चचेरे भाई की विधवा जनकथाचें को दी गई थी, जिसका उल्लेख इस प्रकार हैः

जबकि मेरे पास कोई पुरूष या महिला संतान नहीं है और मेरी पत्नी (1) सेलाथाची और (2) जनक थाथाची, मेरे वरिष्ठ चाचा के बेटे थबासुया पिल्लई की पत्नी मेरे साथ और मेरे परिवार में रहती हैं और उक्त दो व्यक्तियों के अलावा, वहां हैं मेरे परिवार में और कोई नहीं है। उपरोक्त व्यक्तियों में से, उपरोक्त जनक थाची को मेरे परिवार में केवल भरण-पोषण का संबंध मिला है और किसी अन्य का मेरे परिवार में कोई हिस्सेदारी या भरण-पोषण संबंध नहीं है। मैं उपरोक्त दो व्यक्तियों के लिए भरण-पोषण प्रदान करने के लिए बाध्य हूं और मैं किसी कर्तव्य/बाध्यता के दायित्वाधीन नहीं हूं, इसलिए मेरे जीवनकाल के बाद, 2000 रूपये मूल्य की नीचे उल्लेखित ए अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति उपरोक्त दो व्यक्तियों का मिल जायेगी और इन्हें पृथक करने के किसी भी अधिकार के बिना दोनोंे बराबर रूप से उपयोग-उपभोग में ले सकेंगी और उसकी इच्छा के अनुसार इनसे दान करे और उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के जीवनकाल के बाद, उपरोक्त एडूवनकुडी गांव के पेरिया पिल्लई के पुत्र गोविंन्दरसन पिल्लई, ए अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति के ट्रस्टी होंगे और नीचे उल्लेखित भूमि से प्राप्त आय से स्वामीमलाई श्री स्वामीनाथ स्वामी देवस्थानम, कुंभकोणम तालुक

में हर महीने कृतिगई सतार दिवस पर मूर्ति की पूजा करे और उपरोक्त दिन अत्यधिक गरीबों को खाना खिलाने व दान करे और उपरोक्त गौत्र सुब्रमण्यम स्वामीयर मंदिर में हर दिन दीपक भी जलाये। इसके अलावा नीचे उल्लेखित बी अनुसूची सम्पत्ति के संबंध में, जिसका मूल्य रूपये 1000/- है, मेरे जीवनकाल के बाद, उपरोक्त गोविन्दा राजन पिल्लई स्वयं ट्रस्टी होंगे और उपरोक्त सम्पत्ति से प्राप्त आय से उपरोक्तानुसार स्वामीनाथ स्वामी और सुब्रमण्यम स्वामी पर गरीबों को खाना खिलायेंगे, पूजा और दान करेंगे। उपरोक्त सेलाथाची और जनक थाची में से, यदि एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तथा दूसरा व्यक्ति जीवित रहता है, तो जीवित सदस्य को ए अनुसूची की सम्पत्ति का सम्पूर्ण रूप से उपयोग-उपभोग में लेने का अधिकार होगा। यह वसीयतनामा मेरे जीवनकाल के बाद ही लागू होगा, और मेरे पास अपने जीवनकाल के दौरान इस वसीयतनामा को बदलने या रदद करने का अधिकार और प्राधिकार होगा।"

सितम्बर, 1950 में सोमसुंदरम पिल्लई की मृत्यु हो गई। विरासती सेलाथाची और एक अन्य ने सम्पत्तियों पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। वर्ष 1960 में जनक थाथाची की मृत्यु हो गई। 1970 में, सेलाथाची ने एक पावर आॅफ अटाॅर्नी धारक को नियुक्त किया था। जिसने मुकदमे की सम्पत्तियों को हस्तान्तरित कर दिया था और अपीलकर्ताआें ने उन्हें पंजीकृत बिक्री विलेख के तहत खरीदा था। यह मुकदमा यह घोषणा करने

के लिये दायर किया गया था कि वसीयत के तहत विरासती सम्पत्ति में सीमित उत्तराधिकारी रहे है, सेलाथाची द्वारा किया गया हस्तान्तरण अवैध था। विचारण न्यायालय ने मुकदमे काे डिक्री किया । विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपील स्वीकार कर मुकदमे को खारिज कर दिया और एलपीए संख्या 161/88 दिनांक 2 जुलाई 1992 में, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश के फैसल को यह कहते हुए रद्व कर दिया कि विरासतकर्ता द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (संक्षेप में, "अधिनियम") की धारा 14 की उपधारा (2) के तहत विवादित सम्पत्ति को प्रतिबंधित सम्पत्ति कर दिया है इसलिए उनको सम्पत्ति में पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं हुए है, इसलिए यह अपील विशेष अनुमति द्वारा पेश की गई ।

इसलिए विचारणीय प्रश्न यह है कि - क्या सोमसुंदरम पिल्लई की विधवा सेलाथाची, अधिनियम की धारा 14(1) के माध्यम से पूर्ण मालिक बन गई थी? वसीयत का पाठ स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वसीयतकर्ता पहले से मौजूद कानूनी स्थिति के प्रति सचेत था, अर्थात वह अपनी पत्नी के भरण-पोषण के लिए बाध्य था और अपने चचेरे भाई की पत्नी के भरण-पोषण के लिये नैतिक दायित्व था। उन्होंने कहा कि " मैं उपरोक्त दो व्यक्तियों के लिए भरण-पोषण प्रदान करने के लिए बाध्य हूं और मेरा कोई अन्य दायित्व नहीं है"। उन्होंने कहा था कि उनके

जीवनकाल के बाद दोनो वसीयतकर्ता सम्पत्तियों पर कब्जा प्राप्त करने के और समान हिस्सेदारी में उपयोग-उपभोग करने के हकदार होंगे और उन्हें सम्पत्ति अलग करने के अधिकार के बिना, उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार दान करने का अधिकार होगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यदि उत्तराधिकारियों में से एक की मृत्यु हो जाती है, तो दूसरे जीवित सदस्य को वसीयत में उल्लेखित सम्पत्तियों काे उपयोग-उपभोग में लेने का अधिकार होगा। भरण-पोषण का अधिकार और उसके पति की सम्पत्तियों पर भार उसके लिए पहले से मौजूद कानूनी अधिकार है,

अधिनियम की धारा 14 इस प्रकार हैः

"14(1) किसी महिला हिंदु के पास मौजूद कोई भी सम्पत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के शूरू होने से पहले या बाद में अर्जित की गई हो, वह उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर ना कि परिसीमित स्वामी के रूप में धारित की जायेगी।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा में, "सम्पत्ति" के अंतर्गत वह जंगम व स्थावर सम्पत्ति आती है जो हिन्दु नारी ने विरासत या वसीयत द्वारा अथवा विभाजन में, अथवा भरण-पोषण के या भरण-पोषण की बकाया के बदले में अथवा विवाह के पूर्व या विवाह के समय या पश्चात किसी व्यक्ति से, चाहे वह संबंधी हो या न हो से प्राप्त अथवा अपने कौशल या परिश्रम द्वारा अथवा क्रय द्वारा अथवा चिरभोग द्वारा अथवा किसी अन्य रीति से

चाहे वह कैसी ही क्यों ना हो अर्जित की हो और एसी कोई सम्पत्ति भी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व स्त्रीधन के रूप में उसके द्वारा धारित की गई थी।

धारा 14 (2)- उपधारा 1 में अंर्तविष्ट कोई बात एसी किसी सम्पत्ति को लागू नहीं होगी जो दान अथवा वसीयत द्वारा या अन्य किसी लिखत के अधीन अथवा सिविल न्यायाधीश के डिक्री या आदेश के अधीन अथवा पंचाट के अधीन अर्जित की गई हो, यदि दान,वसीयत या अन्य लिखत अथवा डिक्री आदेश या पंचाट के निबंधन एसी सम्पत्ति में निर्बंधित सम्पदा विहित करते हो।

तुलासम्मा बनाम वी. शेषा रेडडी [(1977) 3 एससीऔर 261] में, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने वसीयत के तहत प्राप्त अधिकार पर विचार किया था और पृष्ठ 268 पर इस प्रकार कहा थाः

> " सम्पत्ति चाहे किसी भी प्रकार की हो, चल या अचल और अधिग्रहण का तरीका जो भी हो, यह धारा 14 की उपधारा (1) के अंतर्गत शामिल की जायेगी, विधानमण्डल का उद्धेश्य उन दुर्बलताआेंं काे मिटाना है, जिनसे एक हिंदू स्त्री को पुराने शास्त्रीय कानून के तहत सम्पत्ति के स्वामित्व के संबंध में **प्रताड़ित/प्रभावित** किया गया है, सम्पत्ति के एक स्वतंत्र और पूर्ण मालिक के रूप में उसकी स्थिति को मान्यता, स्वामित्व

अधिकारों के विरूद्ध कड़े प्रावधानों को शिथिल करने के लिए जिन्हें अक्सर उसके शाश्वत संरक्षण के प्रमाण के रूप में माना जाता था, दी गई थी।"

पृष्ठ 269 पर, यह आगे कहा गया किः "इसलिए, उप-धारा (2) को उपधारा (1) के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए ताकि उपधारा (1) के संचालन के लिएे जितना संभव हो उतना बड़ा दायर छोड़ा जा सके और इसलिए इसे इस प्रकार पढ़ा जाए, और एेसे मामलों में जहां सम्पत्ति किसी उपहार, वसीयत, लिखत, डिक्री, आदेश या पुरस्कार के तहत बिना किसी पूर्व-मौजूदा अधिकार के अनुदान के रूप में पहली बार किसी महिला हिंदु द्वारा अर्जित की जाती है, इस प्रकार सीमित रखा जाना चाहिए जिसकी शर्तें सम्पत्ति में प्रतिबंधित सम्पत्ति निर्धारित करती हैं।"

थोटा शेषरथम्मा बनाम थोटा कनिक्यम्मा [1991)3 एससीऔर 717 = (1991)4 एससीसी 312] भी एक ऐसा मामला है जिसके तहत वसीयतदार ने अधिनियम लागू होने से पहले वसीयत के तहत एक सीमित सम्पत्ति प्राप्त की थी जिसे विधवा की सम्पत्ति के रूप में जाना जाता है। जब यह घोषणा करने के लिएे मुकदमा दायर किया गया कि वह केवल एक सीमित मालिक बन गई है, तो इस न्यायालय ने विवाद पर विचार किया था और इस प्रकार कहा था।

" वसीयत के तहत सम्पत्ति का हस्तान्तरण वसीयकर्ता के

निधन के बाद प्रभावी होगा और वसीयतदार उपहार आदि की शर्तों से बंधा होगा। अजनबी वसीयतदार प्रतिबंधात्मक लिखित के संचालन को बढ़ाने के लिये कानून के बाद के बदलाव के तहत संरक्षण लेकर उसे दी गई सम्पत्ति में पूर्ण स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है। लेकिन अधिनियम के तहत सामाजिक-और्थिक सुधार इसकी धारा 14(1) के तहत एक उपकरण को शामिल करता है; यह एक हिन्दु महिला के पास पहले से मौजूद सीमित सम्पत्ति या प्रतिबंधात्मक स्थिति को समाप्त करता है और पूर्ण स्वामित्व प्रदान करता है अधिनियम के लागू होने की तारीख, अर्थात 17 जून, 1956 न्यायालय उक्त प्रावधान के अंतर्गत धारा 14(1) को या इस उपकरण को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं कर रही है। अदालते केवल उनके सामने मौजूद तथ्यों पर उक्त कानून को लागू करेंगी और यह निर्धारित करेंगी कि वसीयतदार के पास उक्त अधिनियम से पूर्व सम्पत्ति में अधिकार सृजित हो चुका था और उसके पास मौजूद सम्पत्ति पर उसके कब्जे की प्रकृति और क्या वसीयतकर्ता को अधिनियम की धारा 149(1) का लाभ मिलेगा ।"

मंगत मल बनाम पुन्नी देवी [(1995)6 एससीसी88] में, दो

न्यायाधीशों की एक अन्य खण्डपीठ ने एक मामले के तहत महिला द्वारा अर्जित अधिकार पर विचार किया और अभिनिर्धारित किया कि -

" भरण-पोषण जैसा कि हम देखते हैं, भरण पोषण में आवश्यक रूप से निवास का प्रावधान शामिल होना चाहिए । भरण-पोषण इसलिए दिया जाता है ताकि महिला कमोबेश उसी तरीक से रह सके, जिसकी वह आदी थी। इसलिए, भरण-पाेषण की अवधारणा में भोजन और कपड़े आदि का प्रावधान शामिल होना चाहिए और सिर पर छत की बुनियादी आवश्यकता को भी ध्यान में रखना चाहिए। आवास के लिए प्रावधान या तो एकमुश्त धनराशि या उसके बदले में सम्पत्ति देकर किया जा सकता है। इसे महिला के जीवनभर के लिए आवास और अन्य आवश्यक खर्चाेंं के लिए धन उपलब्ध कराकर भी बनाया जा सकता है। जहां इस तरह से प्रावधान किया जाता है, निवास के प्रयोजनों के लिए सम्पत्ति में आजीवन हित देकर, वह प्रावधान रख रखाव के पहले से मौजूद अधिकार के बदले में किया जाता है और हिन्दु महिला स्वामित्व के अवशेष से कही अधिक प्राप्त करती है जिसे धारा 14(1) लागू करने के लिये पर्याप्त माना जाता है । अधिनिर्णय के तहत सुख देवी को बीदासर सम्पत्ति में पहले से मौजूद भरण-पोषण, धन और जीवनभर के ब्याज के अधिकार के बदले प्रावधान किया गया था। इसलिए, सुख देवी ने भरण-पोषण के अपने पहले से मौजूद अधिकार की मान्यता में बीदासर सम्पत्ति में सीमित स्वामित्व अधिकार हासिल कर

लिया। अधिनियम के लागू होने पर, 1934 में सुखदेवी द्वारा विरासत सम्पत्ति में प्राप्त सीमित अधिार पूर्ण स्वामित्व में बदल गए, और वह इसके 'नोहरा' को बेचने की हकदार बन गई। इसलिए, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने जो दृष्टिकोण अपनाया उसमें त्रूटि थी।

इस प्रकार इस न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण गलत था कि उसने एक सीमित सम्पत्ति अर्जित की और धारा 14 की उपधारा (2) में उपहार के तहत उसके द्वारा अर्जित अधिकार पर लागू होती है। तदनूसार, इस न्यायालय ने माना था कि उपहार के तहत प्राप्त उसका अधिकार भरण-पोषण के उसके पहले से मौजूद अधिकार की मान्यता में था और इसलिए, यह अधिनियम की धारा 14(1) के तहत एक पूर्ण अधिकार में बदल गया था।

यह सच है, जैसा कि प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री रंगम ने सही तर्क दिया है, कि गुम्फा बनाम जय बाई [(1994)2 एससीसी511] में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने वसीयत के प्रभाव पर विचार किया था और माना था कि वसीयत के तहत अर्जित सम्पत्ति धारा 14(1) के अंतर्गत नहीं आती है। उस मामले में, वसीयत वर्ष 1941 में निष्पादित की गई थी और अधिनियम लागू होने के बाद वसीयतकर्ता की 1958 में मृत्यु हो गई थी। इसलिए, उस न्यायालय ने माना था कि उसने वसीयत के तहत एक प्रतिबंधित सम्पत्ति के रूप में भरण-पोषण का अधिकार

हासिल कर लिया है और धारा 14(2) के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 30 के संचालन से, उसने एक सीमित सम्पत्ति हासिल कर ली है। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान न्यायाधीशों ने वसीयत में उल्लेखित भाषा के प्रभाव में धारा 14 की उपधारा [2] की व्याख्या की है। यह देखा जायेगा कि वसीयत वर्ष 1941 में निष्पादित की गई थी। 1941 में पहले से मौजूद कानून के अनुसार, उसे केवल भरण-पोषण का अधिकार था। विद्वान न्यायाधीश इस आधार पर आगे बढ़े कि एक हिंदु पुरूष की अपनी सम्पत्ति का निपटान करने की शक्तिपूर्ण है, इसमें एक महिला के पक्ष में सीमित या प्रतिबंधित संम्पत्ति बनाने का अधिकार शामिल है। अधिनियम की धारा 30 के अनुसार वसीयत के तहत प्रतिबंधित संम्पत्ति धारा 14 की उपधारा [2] के अंतर्गत आती है क्योंकि यह वह माध्यम नहीं है जिसके तहत उसने उपधारा [1] के तहत संम्पत्ति अर्जित की है। हालांकि, विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि यदि भरण-पोषण पहले से मौजूद अधिकार की मान्यता में दिया गया था, तो सम्पत्ति का ऐसा अधिग्रहण धारा 14 के उद्धेश्य को बढ़ावा देने के लिए उप-धारा [2] से बाहर कर दिया गया था। उपधारा [1] के तहत अधिग्रहण के तरीके में अधिनियम के प्रारम्भ होने से पहले उपधारा [1] में विशेष रूप से उल्लेखित विरासत आदि शामिल हैं। इसलिए, यह माना गया कि इसमें वसीयत द्वारा अधिग्रहण शामिल नहीं है। उप-धाराआें [2] और [1] का निर्माण अधिनियम की धारा 30 के अनुरूप होने के कारण यह निष्कर्ष निकला। विद्वान न्यायाधीशों की राय में, भरण-

पोषण के लिए "के बदले में" या "बकाया" शब्द महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं।

सेठ बद्री प्रसाद बनाम श्रीमती कंसो देवी [(1969) 2 एससीसी 586] में धारा 14 की उपधारा [2] और उपधारा [1] के निर्माण का प्रश्न तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष आया था। उसमें तथ्य यह थे कि प्रतिवादी को एक पंचाट के तहत विधवा की सम्पत्ति के रूप में कुछ संम्पत्तियों मिली। अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादिया को उक्त या संम्पत्तियों को इस आधार पर हस्तांतरित करने से रोकने के लिए मुकदमा दायर किया गया था कि वह केवल संम्पत्ति की सीमित मालिक थी। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि धारा 14[1] के तहत वह सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी हो गई और उसके इस तर्क को निचले न्यायालयों ने उसके पक्ष में माना था । धारा 14[1] और [2] की व्याख्या करते समय, इस न्यायालय ने माना कि "अर्जित" और "कब्जा" शब्दों का उपयोग उनके व्यापक अर्थ में किया गया है। कब्जा रचनात्मक या वास्तविक या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी रूप में होना चाहिए। भाषा की व्याख्या में "अर्जित" शब्द का यथासंभव व्यापक अर्थ भी दिया जाना चाहिए । धारा 14 की उपधारा [2] केवल तभी लागू होगी जब उसमें दर्शाए गए किसी भी मामले में हिन्दु महिला जो संम्पत्ति पर कब्जा रखती है, का अधिग्रहण धारा 14[1] के तहत नहीं आता है और बिना किसी पूर्व-मौजूदा अधिकार के पहली बार किया गया था । यह माना गया कि चूँकि वह एक विधवा की संपत्ति के रूप में सपत्ति पर

काबिज थी, उसके सीमित अधिकार को धारा 14[1] के तहत पूर्ण अधिकार में बढ़ा दिया गया था।

मंगल सिंह एवं अन्य बनाम वी० श्रीमती रत्नो और अन्य।[(1967)3 एससीऔर 454] एक अन्य तीन न्यायाधीशों की पीठ को इस सवाल पर विचार करना था कि क्या एक हिंदु महिला जो अधिनियम लागू होने से पहले अपने कब्जे की सम्पत्ति से बेदखल कर दी गई थी, धारा 14[1] के तहत पूर्ण मालिक बन गई । इस न्यायालय ने माना कि धारा 14[1] में अभिव्यक्ति "कब्जे में" के बजाय "कब्जे द्वारा" शब्द का उद्धेश्य कानून में" कब्जे में" के मामलों को कवर करने के लिए अभिव्यक्ति कब्जे के अर्थ को बढ़ाना था। भले ही हिंदु महिला का सम्पत्ति पर वास्तविक, भौतिक या रचनात्मक कब्जा नहीं था, धारा 14[1] आकर्षित होती है।

यह देखा गया कि यदि संविधान लागू होने के बाद, व्यक्ति की समानता और गरिमा का अधिकार संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांतों में निहित है जो एक त्रिमूर्ति है जिसका उद्धेश्य केवल सामाजिक स्थिति या लिंग के आधार पर भेदभाव या विकलांगता को दूर करना है, पहले से मौजूद उन बाधाआेंं को दूर किया जो महिला या कमजोर वर्ग या समाज के रास्ते में बाधा थी। एसऔर बोम्मई बनाम भारत संघ [(1995)1 एससससी में इस न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। व्यक्ति की गरिमा के

साथ न्याय, समानता और स्वतंत्रता की त्रिमूर्ति को जीवंत बनाने के लिए कानून के शासन के तहत ही बाधाआेंं को दूर किया जाना चाहिए। बुनियादी संरचना स्थिति और अवसर की समानता को व्याप्त करती है। महिलाओ को निम्न दर्जा प्रदान करने वाले व्यक्तिगत कानून समानता के लिए अभिशाप है। व्यक्तिगत कानून संविधान से नहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथों से लिए गए है। इस प्रकार बनाये गये कानून संविधान के अनुरूप होने चाहिए ऐसा न हो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर वे अनुच्छेद 13 के तहत अमान्य हो जाएं। समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसलिए, संसद ने हिंदू महिला पर पूर्ण स्वामित्व के बिना सम्पत्ति के अधिकार को सीमित करने वाली पूर्व मौजूद दुर्बलताआेंं को दूर करने के लिए धारा 14 अधिनियमित की है। धारा 14(1) द्वारा भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया गया है, जिसमें एक हिंदू महिला द्वारा सम्पत्ति के अधिग्रहण के दायरे को बढ़ाते हुए इसके साथ एक स्पष्टीकरण भी जोड़ा गया है।

संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 4 दिसम्बर, 1986 को "विकास के अधिकार का विकास" पर एक घोषणा को अपनाया, जिसे अपनाने के लिए भारत ने एक धर्मयुद्ध की भूमिका निभाई और इसकी पुष्टि की। इसकी प्रस्तावना यह बताती है कि सभी मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्राएं अविभाज्य और परस्पर निर्भर हैं। सभी राष्ट्र मानव के विकास की पूर्ण पूर्ति

में गंभीर बाधाआेंं, नागरिक, राजनीतिक, और्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित होने से चिंतित हैं। विकास को बढ़ावा देने के लिए नागरिक, राजनीतिक, और्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के कार्यान्वयन, प्रचार और संरक्षण पर समान ध्यान दिया जाना चाहिए ।

अनुच्छेद 1(1) विकास के अधिकार को एक अविभाज्य मानव अधिकार का आश्वासन देता है, जिसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति और सभी लोग और्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास में भाग लेने, योगदान करने और आनंद लेने के हकदार हैं, जिसमें सभी मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएेंं शामिल हैं, पूर्णतया साकार किया जा सकता है। अनुच्छेद 6(1) राज्य को जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना सभी के सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता पालन करने के लिए बाध्य करता है। उप-अनुच्छेद (2) में कहा गया है कि.... नागरिक, राजनीतिक, और्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के कार्यान्वयन, प्रचार और संरक्षण पर समान ध्यान और तत्काल विचार किया जाना चाहिए। इसके उप-अनुच्छेद (3) में कहा गया है कि राज्य को विकास के लिये नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ-साथ, सामाजिक और और्थिक अधिकारों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप विकास में आने वाली बाधाआेंं को खत्म् करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

अनुच्छेद 8 में राज्य का कर्तव्य है कि वह विकास के अधिकार को साकार करने के लिए आवश्यक उपाय करे और अन्य बातों के साथ-साथ बुनियादी संसाधनों तक सभी की पहुंच में अवसर की समानता और आय का वितरण सुनिश्चित करे"। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय किएे जाने चाहिए कि महिलओंेें की विकास प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका हो। सभी सामाजिक अन्याय को खत्म करने की दृष्टि से उचित और्थिक और सामाजिक सुधार किये जाने चाहिए ।

मानवाधिकार मानव व्यक्ति में निहित गरिमा और मूल्य से उदभूत होते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा द्वारा मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को दोहराया गया है। लोकतंत्र, विकास और मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओ के प्रति सम्मान एक दूसरे पर निर्भर हैं और इनका परस्पर सुदृढीकरण है इसलिए, बालिकाआेें सहित महिलओंेें के लिए मानवाधिकार, सार्वभौमिक मानवाधिकारों का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं। व्यक्तित्व और मौलिक स्वतंत्रता का पूर्ण विकास और राजनीतिक, सामाजिक, और्थिक और सांस्कृतिक जीवन में महिलओंेें की समान भागीदारी राष्ट्रीय विकास, सामाजिक और पारिवारिक स्थिरता और सांस्कृतिक, सामाजिक और और्थिक रूप से विकास के लिए सहवर्ती है। लिंग के आधार पर सभी प्रकार का भेदभाव मौलिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

UNO द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 1979 को वियना घोषाणा संक्षेप में "CEDAW" के द्वारा महिलओंेें के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने को दोहराया था। भारत सरकार, जो CEDAW में सक्रिय भागीदार थी, ने 19 जून, 1993 को इसकी पुष्टि की और 8 अगस्त 1993 को सीईडीएडब्ल्यू के अनुच्छेद 5(ई), 16(1), 16(2) और 29 पर औरक्षण के साथ शामिल हो गई । CEDAW की प्रस्तावना दोहराती है कि महिलओंेें के खिलाफ भेदभाव, अधिकारों की समानता और मानवीय गरिमा के सम्मान के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है; अपने देश के राजनीतिक, सामाजिक, और्थिक और सांस्कृतिक जीवन में पुरूषों के साथ समान स्तर पर भागीदारी में बाधा है; समाज और परिवार से व्यक्तित्व के विकास में बाधा आती है और अपने देश और मानवता की सेवा के लिए महिलओंेें की क्षमताआेें के पूर्ण विकास को और अधिक कठिन बना देती है। महिलओं की गरीबी एक बाधा है। समानता और न्यायाय पर आधारित नई अंतर्राष्ट्रीय और्थिक व्यवस्था की स्थापना पुरूषों और महिलओं के बीच समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। अनुच्छेद 1 महिलओं के खिलाफ भेदभाव को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है " लिंग के अधार पर किए गए भेदभाव, बहिष्करण या प्रतिबंध जिसका प्रभाव या उद्धेश्य होता है राजनीतिक, और्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक या किसी अन्य क्षैत्र में पुरूषाेें और महिलओं के सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की समानता के आधार पर, उनकी वैवाहिक स्थिति के

बावजूद महिलओंें द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों के उपयोग-उपभोग में बाधा डालता है। अनुच्छेद 2(बी) महिलओं के खिलाफ सभी रूपों में भेदभाव की निंदा करते हुए बिना किसी देरी के उचित तरीकों से आगे बढ़ने, "उचित विधायी और प्रतिबंधों सहित अन्य उपायों को अपनाने, महिलओं के खिलाफ सभी भेदभावों पर रोक लगाने" के लिए महिलओं के खिलाफ भेदभाव पैदा करने वाले मौजूदा कानूनों, विनियमों, रीति रिवाजों और प्रथाओ को संशोधित करने या समाप्त करने के लिए कानून सहित सभी उचित उपाय करने के लिये राज्य दलों को निर्देश दिया गया। खण्ड सी महिलओं को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के लिए भेदभाव के किसी भी कार्य के खिलाफ गठित राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से पुरूषाेंं के समान आधार पर महिलओ के अधिकारों की कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश देता है। अनुच्छेद 3 राज्य दलों को निर्देश देता है कि वह सभी क्षैत्रों में, विशेष रूप से, राजनीतिक, सामाजिक, और्थिक और सांस्कृतिक क्षैत्रों में, महिलओं के पूर्ण विकास और उन्नति को सुनिश्चित करने के उद्धेश्य से पुरूषों के समान मानवाधिकारों एवं मौलिक अधिकारों को उपयोग-उपभोग की गारंटी देने के लिए सभी उचित उपाय करेगा। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि " सभी राज्य दल विशेष रूप से पुरूषो और महिलओं की समानता के आधार पर सुनिश्चित करने के लिए राज्य दल और्थिक और सामाजिक जीवन के अन्य क्षैत्रों में महिलओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए सभी उचित उपाय

करेंगे।"..... अनुच्छेद 14 ग्रामीण महिलओंे के सामने आने वाली भेदभाव की समस्याआे को खत्म करने पर जोर दिया गया ताकि वे " अर्थव्यवस्था के गैर-मुद्रीकृत क्षैत्रा में अपने काम सहित अपने परिवारों के और्थिक अस्तित्व में भूमिका निभाने में सक्षम हो सक और... सभी उचित उपाय करेंगें।"...."। ग्रामीण विकास में भागीदारी और उससे लाभ, विशेष रूप से, एसी महिलओंे को रोजगार या स्व-रोजगार आदि के माध्यम से और्थिक अवसरों तक समान पहुंच प्राप्त करने के लिए स्वयं समूहों और सहकारी समितियों को संगठित करने के लिए विकास कार्यक्रम में भाग लेने का अधिकार सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 15(2) कानून के समक्ष महिलओंे को पुरूषों के साथ समानता प्रदान करने का आदेश देता है, विशेष रूप से, सम्पत्ति का प्रबंधन करने के लिए .....

संसद ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 बनाया। धारा 2(बी) मानव अधिकारों को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है " संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में सन्निहित और भारत में अदालतों द्वारा लागू किए जाने योग्य अधिकार"। इस प्रकार CEDAW में सन्निहित सिद्धांत और विकास का सहवर्ती अधिकार भारतीय संविधान और मानवाधिकार अधिनियम का अभिन्न अंग बन गये और लागू करने योग्य हो गये। धारा 12 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम और उसके सही तरीके

से कार्यान्वयन के साथ-साथ मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की रोकथाम का दायित्व आयोग पर अधिरोपित करती है।

CEDAW का अनुच्छेद 5(ए) जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रदत्त औरक्षण इसके रास्ते में नहीं आता है और वास्तव में अनुच्छेद 2(एफ) इसके प्रभाव को नकारता है और अनुच्छेद 3,12,14 व 15 के तहत अपनाए गए दायित्व के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 2(एफ) को लागू करने का आदेश देता है और कंवेंशन अनुच्छेद 1,3,6 व 8 विकास के अधिकार से तुलना करता है। हालांकि नीति-निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारा ने मानव व्यक्तित्व के विकास और भेदभाव को खत्म करने के लिए मैट्रिक्स प्रदान किया है, ये सम्मेलन तत्काल कार्यान्वयन के लिए तत्काल आवश्यकताए जोड़ते हैं। इसलिए राज्य के लिए यह अनिवार्य है कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 के अनुसार बाधाआेंं को दूर करे, सभी लिंग आधारित भेदभावों पर रोक लगाये। CEDAW के अनुच्छेद 2(एफ) और अन्य संबंधित अनुच्छेदों के संचालन से, राज्य को मौजूदा कानूनो, विनियमों, रीति-रिवाजों और प्रथाआ में लिंग आधारित भेदभाव को संशोधित करने या समाप्त करने के लिए कानून सहित सभी उचित उपाय करने चाहिए जो महिलओं के विरूद्ध भेदभाव का कारण बनते है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(3) एसे अधिनियमों या कार्यों को सकारात्मक रूप से संरक्षित करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21

"जीवन के अधिकार" को पुष्ट करता है। समानता, व्यक्ति की गरिमा और विकास का अधिकार प्रत्येक मनुष्य में अंतर्निहित अधिकार है। अपने विस्तृत परिप्रेक्षय में जीवन में वह सबकुछ शामिल है जो व्यक्ति के जीवन के अधिकार और संस्कृति, विरासत और परम्परा के साथ व्यक्ति की गरिमा को शामिल करता है। पूरी तरह विरासत की पूर्ति में जीवन का अधिकार शामिल होगा। इसकी सार्थकता और उद्धेश्य के लिये प्रत्येक महिला मानव विकास के लिए लिंग के आधार पर बाधाआ और भेदभव को खत्म करने की हकदार है, महिलाएं बिना किसी भेदभाव और समानता के आधार पर और्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों का उपयोग-उपभोग करने की हकदार है। समान रूप से मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिये, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जिज्ञासा की भावना को विकसित करने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 51ए(एच) और (जे) में दिए गए व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षैत्राेंं उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने के सुविधाएं और न केवल अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, बल्कि सभी प्रकार के लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। इन कृत्यों को करना राज्य के लिए आज्ञापक है। सम्पत्ति बंदोबस्ती अवसर प्रदान करने, व्यक्तित्व विकसित करने, समान स्थिति का अधिकार और व्यक्ति की गरिमा प्रदान करने के लिये महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पत्तियों में से एक है। इसलिए, राज्य को महिलओंेंं के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों सहित और्थिक विकास के अधिकार का एहसास

कराने के लिए अनूकूल परिस्थितियों और सुविधाआ का निर्माण करना चाहिए।

भारत रत्न डा० बी०और० अम्बेडकर ने संविधान सभा के पटल पर कहा कि भविष्य में विधायिका और कार्यपालिका दोनों को निर्देशक सिद्धांतों के बारे में केवल दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सभी कार्यकारी और विधायी कार्यों का गढ़ बनाना चाहिए। विधायी और कार्यकारी कार्यवाहियां, भाग ।।। में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों और भाग ।V में निहित निदेशक सिद्धांतों और संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप और कार्यान्वयन होनी चाहिए जो संविधान की अंतरात्मा का गठन करती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुबंध लिंग आधारित बाधाआेंं और भेदभाव को खत्म करने के लिएे प्रेरणा और तात्कालिकता जोड़ते हैं। समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए सामाजिक-और्थिक पुनर्गठन में महिलओंेंं के और्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विधायी कार्यवाही उपयुक्त रूप से तैयार की जानी चाहिए। कानून सामाजिक परिवर्तन का साधन होने के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन का रक्षक भी है। CEDAW के अनुच्छेद 2(ई) में कहा गया है कि यह प्रावधान महिलओं के सामाजिक एवं और्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के लिये न्यायालय संविधान की सूखी हडडियों, अंतर्राष्ट्रीय दोषसिद्धियों और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम और लिंग आधारित भेदभाव को रोकने और और्थिक सशक्तिकरण सहित जीवन के

अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम में जान फूंक देगा।

संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट, 1980 के अनुसार, "महिलाएं दुनिया की आधी आबादी हैं, लगभग दो तिहाई काम करती हैं, दुनिया की आय का दसवां हिस्सा प्राप्त करती हैं और दुनिया की एक सौ प्रतिशत से भी कम सम्पत्ति की मालिक है"। भारत की आधी आबादी भी महिलओं की है। महिलओं के साथ हमेशा भेदभाव किया गया है और उन्होंने चुपचाप भेदभाव झेला है और सह रही है। आत्म-बलिदान और आत्म-त्याग उनका बड़प्पन और धैर्य है और फिर भी उन्हें सभी असमानताआ, अपमान, असमानता और भेदभाव का शिकार होना पड़ा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13,14,15 और 16 और अन्य संबंधित अनुच्छेद लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाते हैं। सामाजिक एवं और्थिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता की आधारशिला है।

श्रीमती वलसम्मा पाॅल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय और अन्य में [जेटी1996(1) एससी 57] इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा हैः-

" मानवाधिकार मानव व्यक्ति में निहित गरिमा और मूल्य से प्राप्त होते हैं। मावाधिकाराेंं की सार्वभोम घोषणा में मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान एक दूसरे पर निर्भर है और परस्पर जुड़े हुए है।" लोकतंत्र, विकास और मानवाधिकारों का सम्मान और मौलिक स्वतंत्रता एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है व सुदृढ़ीकरण के लिये है इसलिये

लड़कियों सहित महिलओंें के लिए मानवाधिकार, सार्वभौमिक मानवाधिकारों का अभिन्न, अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। व्यक्तित्व और मौलिक स्वतंत्रता का पूर्ण विकास और राजनीतिक, सामाजिक, और्थिक और सांस्कृतिक जीवन में महिलओंें की समान भागीदारी, राष्ट्रीय विकास, सामाजिक और पारिवारिक स्थिरता और सांस्कृतिक, सामाजिक और और्थिक विकास के लिए सहवर्ती है। लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव मौलिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

महिलओंें के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन के लिए कन्वेंशन (संक्षेप में," CEDAW") को 18 दिसम्बर, 1979 को संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा अनुमोदित किया गया था और भारत सरकार ने 19 जून, 1993 को CEDAW में शामिल होकर एक सक्रिय भागीदार के रूप में इसकी पुष्टि की थी और दोहराया था कि महिलओंें के खिलाफ भेदभाव, अधिकारों की समानता और मानवीय गरिमा के सम्मान के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और यह उनके देश के राजनीतिक, सामाजिक, और्थिक और सांस्कृतिक जीवन में पुरूषों के साथ समान स्तर पर भागीदारी में बाधा है; यह समाज और परिवार से व्यक्तित्व के विकास को बाधित करता है, जिससे संबंधित देशा और मानवता की सेवा में महिलओंें की क्षमताआेंं के पूर्ण विकास को और अधिक कठिन बन जाता है।

समानता और न्याय पर आधारित नई अंतर्राष्ट्रीय और्थिक व्यवस्था

की स्थापना पुरूषों और महिलओं आदि के बीच समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। अनुच्छेद-1 " महिलओंेंं के खिलाफ भेदभाव" को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है "लिंग के आधार पर किया गया कोई भी भेदभाव, बहिष्करण या प्रतिबंध जिसका प्रभाव पुुरूषों और महिलओंेंं की समानता, सभी मानवाधिकारों और राजनीतिक, और्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक या मौलिक स्वतंत्रता के आधार पर, उनकी वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना, महिलओं द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों के उपयोग-उपभोग में बाधा कारित करना।" अनुच्छेद 2(बी) राज्य दलों को महिलओंेंं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव की निंदा करते हुए, उचित तरीको से बिना किसी देरी के, " उचित विधायी और प्रतिबंधों सहित अन्य उपायों को अपनाकर, जहां उचित हो, निषेध करना; महिलओं के खिलाफ सभी भेदभाव; महिलओंेंं के खिलाफ भेदभाव पैदा करने वाले मौजूदा कानूनों, विनियमों, रीति- रिवाजों और प्रथाआेंेंं को संशोधित करने या समाप्त करने के लिए कानून सहित सभी उचित उपाय करना। खण्ड सी राज्य को पुरूषों के समान महिलओं के अधिकारों की कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश देता है। महिलओं को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के लिए भेदभाव के किसी भी कृत्य के खिलाफ गठित राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों और अन्य सार्वजनिक संस्थाआ के माध्यम से संरक्षण करने को आदेश देता है। अनुच्छेद 3 राज्य दलों को निर्देश देता है कि वह सभी क्षैत्रा में, विशेष रूप से राजनीतिक, सामाजिक, और्थिक और

सांस्कृतिक क्षैत्रा में कदम उठाएगी पुरूषों के साथ समानता के आधार पर उन्हें मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के प्रयोग और आनंद की गारन्टी देने के उद्धेश्य से महिलओं के पूर्ण विकास और उन्नति को सुनिश्चित करने के लिए कानून सहित सभी उचित उपाय करे। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि " राज्य दल पुरूषों और महिलओं की समानता के आधार पर और्थिक और सामाजिक जीवन के अन्य क्षैत्र में महिलओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए सभी उचित उपाय करेंगी।"

संसद ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनिय, 1993 अधिनयमित किया है। धारा 2(बी) मानवाधिकार को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है " संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार, जो अंतरर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सन्निहित है, और भारत में अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय है। इस प्रकार CEDAW' में सन्निहित सिद्धांत और विकास का सहवर्ती अधिकार भारत के संविधान और मानवाधिकार अधिनियम का अभिन्न अंग बन गए और लागू करने योग्य बन गए। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 आयोग पर मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के उचित कार्यान्वयन व उल्लंघन की रोकथाम के लिए कर्तव्य काे अधिरोपित करती है।

हालाँकि भारत सरकार ने CEDAW के अनुच्छेद 5[ई], 16[1], 16[2] और 29 पर अपनी आपत्तियाॅ बरकरार रखीं, लेकिन संविधान के

अनुच्छेद 15(1) और (3) मे मौलिक अधिकारों के मददनजर उनका कोई प्रभाव नहीं है। अनुच्छेद 21 और निदेशक सिद्धांत।

यह सच है कि अधिनियम की धारा 30 और वसीयत के निष्पादन से संबंधित अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को पूर्ण प्रभाव देने की आवश्यकता है और जिस प्रकार एक हिन्दु पुरूष सम्पत्ति के स्वभाव का पूर्ण् अधिकार प्राप्त करता है। लेकिन समानता का अधिकार हिन्दु महिला के खिलाफ बाधाआेंं और भेदभाव को दूर करने वाला, समानता का अधिकार संविधान में निहित समानता के अधिकार के अनुरूप होना चाहिए और व्यक्तिगत कानून को भी संवैधानिक लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए,विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामलों में लिंग आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए संवैधानिक प्रारूप के अनुरूप प्रासंगिक प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए सामंजस्यपूर्ण व्याख्या को अपनाने की आवश्यकता है। इन संवैधानिक लक्ष्यों के प्रति जागरूक,हिन्दु विवाह अधिनियम, हिन्दु दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम आदि को शास्त्रीय कानून के तहत आने वाली बाधाआ को दूर करते हुए कानून में लाया गया है। धारा 14 का स्पष्टीकरण ।[1] व्यापक दृष्टि से सम्पत्ति के अधिग्रहण को व्यापक आयाम देता है। यह केवल उदाहरणात्मक है, सम्पूर्ण नहीं। इसकी पूर्ववर्ती शर्त यह है कि क्या हिन्दु महिला के पास व्यक्तिगत कानून या किसी अन्य कानून के तहत सम्पत्ति रखने या सम्पत्ति

का अधिकार पहले से मौजूद है। कोई भी माध्यम, दस्तावेज, उपकरण ईत्यादि जिसके तहत हिन्दु महिला अपने पहले से मौजूद अधिकार की मान्यता में सम्पत्ति - चल या अचल- पर काबिज है, हालांकि माध्यम, दस्तावेज या उपकरण से सम्पत्ति को प्रतिबंधित सम्पत्ति का रूप प्राप्त होता है, जिससे एक हिन्दु महिला द्वारा पहले से मौजूद सम्पत्ति पर प्रतिबंधित कब्जा हो, स्पष्टीकरण-। के साथ पढी गई धारा 14 की उपधारा [1] का संचालन, बेड़ियों को हटा देता है और सीमित अधिकार पूर्ण अधिकार में बदल जाता है।

जैसाकि इस न्यायालय द्वारा माना गया है, यदि सम्पत्ति का अधिग्रहण धारा 14 की उपधारा [1] को आकर्षित करता है, तो उपधारा [2] लागू नहीं होती है। यदि किसी उपकरण, दस्तावेज या माध्यम आदि के तहत पहले से मौजूद अधिकार के किसी अवशेष के बिना पहली बार अधिग्रहण होता है तो धारा 14 की उपधारा [2] आकर्षित होती है। उप-धारा [2] एक अपवाद की प्रकृति में होने के कारण, यह उपधारा [1] के संचालन को प्रभावित या नष्ट नहीं करती है। धारा 14 की उपधारा [2] स्वतंत्र रूप से अपने क्षैत्र में लागू होती है। धारा 30 के तहत एक हिन्दु द्वारा सम्पत्ति के निपटान के अधिकार को इस परिप्रेक्षय में समझने की आवश्यकता है और यदि किसी साधन, दस्तावेज या उपकरण के तहत एक हिन्दु महिला के पास मौजूद सम्पत्ति पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रयास

किया जाता है, हालांकि अधिनियम के बाद निष्पादित किया गया है लागू होने के बाद, प्रत्येक मामले में तथ्यों और परिस्थितियों के अालोक में इसकी व्याख्या की जानी चाहिए और यह समझा जाना चाहिए कि क्या हिन्दु महिला पूर्व से प्राप्त अधिकार के तहत सम्पत्ति पर काबिज है या उक्त उपकरण/माध्यम से किसी पूर्व अधिकार के बिना प्रथम बार सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त किया है। यदि उत्तर सकारात्मक है, तो धारा 14 की उपधारा [1] आकर्षित होती है। इस प्रकार धारा 14 के दाेनों उपखण्डों [1] और [2] को बचाव के साधन के रूप में आेटिआेस या सहायता प्रदान किए बिना अपना पूरा क्षैत्र दिया जायेगा।

गुम्फा के मामले में [हालांकि वसीयत 1941 में निष्पादित की गई थी और अधिनियम लागू होने के बाद निष्पादक की 1958 में मृत्यु हो गई थी, भरण-पोषण के बदले में सीमित अाधार की अवधारणा निष्पादक के दिमाग में बहुत थी, जब वसीयत 1941 में निष्पादित की गई थी लेकिन अधिनियम लागू होने के बाद, वसीयत प्रभावी हो गई। प्रतिबंधात्मक अधिकार एक पूर्ण सम्पत्ति अधिकार में विस्तारित कर दिया; लेकिन दुर्भाग्य से बेंच ने एक प्रतिबंधात्मक व्याख्या की थी जो हमारे विचार से कानून के अनुरूप नहीं लगती है ।

विरासती सेलाथाची को हिन्दु दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम के तहत भरण-पोषण का अधिकार था, जब सम्पत्ति उसे भरण-

पोषण के लिए दी गई थी। यह उसके भरण-पोषण के पहले से मौजूद अधिकार के अंतर्गत होना चाहिए और वसीयत के तहत दी गई सम्पत्ति को उसके भरण-पोषण के अधिकार के बदले वसीयत के तहत वसीयतकर्ता द्वारा अर्जित किया गया माना जाना चाहिए। एक हिन्दु महिला के भरण-पोषण के अधिकार को हिन्दु दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत वैधानिक मान्यता प्राप्त है। वह अपने पति की सम्पत्ति से और यहां तक कि अजनबियों के हाथों से भी भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार है, केवल सदभाविक क्रेता को छोड़कर । वह सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 37 के तहत अपने भरण-पोषण की वसूली के लिएे सम्पत्ति पर प्रभार सृजित करने की समान रूप से हकदार है। वसीयतकर्ता की मृत्यु पर, वह प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने के नाते, लेकिन वसीयत के लिए, पूर्ण स्वामी के रूप में सफल होने की हकदार है। इनमें से किसी भी परिस्थिति में, यह प्रश्न उभरता है कि क्या वह पहली बार वसीयत के तहत धारा 14(2) के तहत सीमित अधिकार प्राप्त करती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितयों और कानूनी प्रकाश में, हमारा मानना है कि उसके पास शास्त्रीय कानून के तहत, जैसा कि वसीयत में परिकल्पित है, भरण-पोषण के उसके पहले से मौजूद अधिकार की मान्यता में सम्पत्तियां थी, यह लिखत वसीयत के तहत पहली बार हासिल किया गया अधिकार नहीं है, बल्कि यह शास्त्रीय कानून के तहत पहले से मौजूद अधिकार का प्रतिबिंब है, जिसे 1956 के बाद अधिनियम की धारा 14[1] के तहत पूर्ण स्वामित्व

में बदल दिया गया था। इन परिस्थितियों में, यह नहीं माना जा सकता है कि सेलाथाची ने पहली बार लिखत वसीयत के तहत रख रखाव का अधिकार हासिल किया है। इसलिए, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि डिवीजन बैंच ने समस्या को सही परिप्रेक्षय में देखा है। तुलसम्मा के मामले से स्थापित कानूनी स्थिति के मध्यनजर [सुप्रा] वसीयत के तहत प्राप्त अधिकार, शास्त्रीय कानून के तहत ज्ञात रख रखाव के पहले से मौजूद अधिकार की मान्यता में है और धारा 14(1) के तहत एक पूर्ण अधिकार में बदल दिया गया था। प्रतिबंधात्मक सम्पत्ति के बाहर और सेलाथाची को सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी माना गया। इसलिए, उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच का मत सही नहीं था कि सेलाथाची ने वसीयत के तहत केवल एक सीमित सम्पत्ति हासिल किया है और धारा 14(2) वसीयत में निहित प्रतिबंधात्म्क अनुबंधों को आकर्षित करती है, जो उसके जीवनभर भरण-पोषण के अधिकार तक सीमित करती है। उसके बाद, भूमि से आय के उपयोग का अधिकार और उसके निधन पर आय मंदिरों को दी जानी चाहिए, जैसा कि वसीयत में उल्लेखित है, कानून में सही नहीं है।

श्री रंगम ने तब तर्क दिया कि जब वसीयतकर्ता ने दो विधवाओं को केवल भरण-पोषण प्रदान करने के बारे में सोचा है, सम्पत्ति 10 एकड़ से अधिक है, तो भरण-पोषण केवल विधवा की जरूरतों के अनुपात में होना चाहिए और उस सीमा तक विधवा को पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है

लेकिन पूरी सम्पत्ति नहीं। हमें उस तर्क में कोई बल नहीं दिखता है। यह देखा जाना चाहिए कि पहले से मौजूद कानून के तहत, वह विधवा की सम्पत्ति के रूप में जानी जाने वाली पूरी सम्पत्ति के कब्जे में रहने की हकदार है और अधिनियम लागू होने के बाद धारा 14(1) के संचालन से विधवा की सम्पत्ति एक पूर्ण सम्पत्ति में विकसित हो गई। यहां तक कि वसीयत प्रदर्श ए1 में भी, भरण-पोषण के लिए उसकी जरूरतों के अनुरूप आय का उचित अनुपात देने वाली एसी कोई प्रतिबंधात्मक अनुबंध तैयार नहीं किया गया था। दूसरी और, स्पष्ट रूप से उसके भरण-पोषण के अधिकार को मान्यता दी और भरण-पोषण के बदले में उसे उसके जीवनकाल के दौरान भरण-पोषण के लिए सम्पत्ति दी गई। यह तत्कालीन कानून के अनुसार पहले से मौजूद अधिकार है। अधिनियम लागू होने के बाद सीमित सम्पत्ति एक पूर्ण सम्पत्ति में विकसित हो गई है। इसलिए भरण-पोषण की अानुपातिकता का सिद्धांत लागू नहीं है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है।

तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। डिवीजन बैंच के फैसले को अपास्त कर दिया गया है और एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा गया है। परिणामस्वरूप, मुकदमा खारिज किया जाता है। इन परिस्थितियों में, जुर्माना के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

यह अनुवाद और्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **सरिता मीणा** (और०जे०एस०) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्धेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्धेश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।